



राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाली
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट बाली)

GCMS NO. 2025/806

--आदेश--

दिनांक 31-12-26

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं प्रस्तुत दस्तावेजात आधार कार्ड प्रति व पैन कार्ड प्रति के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम खुडाला पटवार हल्का खुडाला तहसील बाली जिला पाली की जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 में खाता संख्या 361, 566 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश(शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	खुडाला	361 व 566	अरुण चौधरी पुत्र कानाराम	अरुण कुमार चौधरी उर्फ अरुण चौधरी पुत्र कानाराम



पीठासीन अधिकारी --
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली
पदेन सहा. कलक्टर, बाली
दिनांक 31-12-2025

कमांक/कोर्ट/2025/1616 - 1618

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार बाली को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. पटवारी हल्का खुडाला को पालनार्थ।
3. प्रार्थी अरुण कुमार चौधरी पुत्र कानाराम चौधरी निवासी खुडाला तहसील बाली को सूचनार्थ।

पीठासीन अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं पदेन
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा. कलक्टर, बाली

